पत्रिका पेपर दि- 26/2/2010

प्रताड़ित पतियों को भी मिले हक

संस्था फैमिली हारमनी सोसाइटी की मांग

दहेज विरोधी कानून पर गौर करने की जरुरत

बेंगलूरु, 25 फरवरी (का.सं.)। दहेज विरोधी अधिनियम के इस्तेमाल के जरिए महिलाओं को पुरुषों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने का अधिकार है तो फिर पुरुषों को अपने बचाव के लिए किसी धारा का प्रावधान क्यों नहीं? यह कहना है गैर सरकारी संस्था फैमिली हारमनी सोसाइटी (एफएचएस) के सदस्यों का।

पत्रिका से बातचीत में इन सदस्यों ने गुरुवार को महिलाओं की ओर से पुरुषों पर लगाए जाने वाले दहेज उत्पीड़न के झूठे मामलों के प्रति अपना रोष कुछ इसी तरह बयां किया। संस्था अध्यक्ष पी. सुरेश ने कहा कि महिलाएं दहेज विरोधी कानून की धारा 498ए के बल पर ससुराल में पति व अन्य लोगों पर प्रताड़ित करने का मनगढ़ंत आरोप जड़ देती हैं। साथ ही इस कानून के मुताबिक पुलिस को भी आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की छूट मिली हुई है।

ऐसे में पति या अन्य आरोपी कुछ करने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। संस्था की मांग है कि इस कानून में एक ऐसा प्रावधान भी हो जिसके तहत प्रताड़ित पति को भी महिलाओं की तरह अधिकारपूर्वक अपनी बात कहने और शिकायत करने का हक मिले।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के इस प्रकार के आरोप लगाने का सबसे बड़ा कारण मुआवजे की मांग है। इसके लिए हमारी मांग है कि केवल जरुरतमंद महिलाओं को ही मुआवजे की श्रेणी में रखा जाए। मुआवजे की राशि तय करने में भी जांच-पड़ताल की आवश्यकता है। संस्था की ओर से दहेज विरोधी कानून की अतार्किक धाराओं का प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पुरजोर विरोध किया जा रहा है। संस्था इसके लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनअपील भी दायर करने जा रही है।

साथ ही पूरे देश में संस्था अपने प्रतिनिधियों के साथ प्रताड़ित पतियों को हक दिलाने के लिए संघर्ष करेगी।

90 से फीसदी से अधिक खारिज

आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं की ओर से पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ित करने के करीब दस हजार मामले सालाना प्रदेश की विभिन्न अदालतों में दर्ज होते हैं। इनमें अकेले बेंगलूरु में ऐसे मामलों की संख्या सालाना करीब पांच सौ है। न्यायालय के आदेशों पर गौर करें तो पिछले वर्षों में 90 से अधिक फीसदी मामलों को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि महिलाएं विभिन्न कानूनों की आड़ में पति पर मुआवजे के लिए आरोप दायर कर सकती हैं।